छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 2011 (फल्गुन 2, 1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-59, संजारी बालोद से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य, श्रीमती कुमारी मदन साहू, शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी तथा सदस्यों की नामावली में अपने हस्ताक्षर करेंगी.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक से प्राप्त -

(1) वित्त लेखे खण्ड (1) तथा खण्ड (2) वर्ष 2009-2010 (छत्तीसगढ़ शासन) तथा

(2) विनियोग लेखे वर्ष 2009-2010 (छत्तीसगढ़ शासन) **पटल पर रखेंगे.**

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006 - 07 एवं 2007- 08 **पटल पर रखेंगे.**

4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, जिला रायगढ़ में संचालित उद्योगों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के मापदण्डों का पालन न किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों व सुरक्षा जवानों का अपहरण किये जाने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमश: 2

निर्धारित समय

6. वर्ष 2010-2011 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 67, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **ग्यारह सौ उनचास करोड़, बयासी लाख, सत्तर हजार, छः सौ रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये.

3 घंटे

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक,2011 (क्रमांक- 1 सन् 2011) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर

दिनांक 20 फरवरी, 2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.